

विषय:—न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू. पी. क्रमांक 18249/2015 श्रीमती रामलली मिश्रा, संविदा ए. एन.एम. जिला-सागर, विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति किये जाने बाबत ।

श्रीमती रामलली मिश्रा, संविदा ए.एन.एम. जिला-सागर, ने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में नियमितीकरण के संबंध में याचिका दायर की है। विषयांकित न्यायालय प्रकरण, में प्रमुख सचिव, भोपाल, /आयुक्त स्वास्थ्य, /संचालक/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सागर, को प्रतिवादी बनाया गया है। प्रकरण सागर जिले से संबंधित है ।

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई दिनांक 14/3/2016 को नियत थी, /है। जिसमें शासन पक्ष की ओर से प्रतिरक्षण किये जाने एवं वादोत्तर समय-सीमा में प्रस्तुत किये जाने हेतु उप संचालक (परिवार कल्याण) स्थानीय कार्यालय, को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

9/3/16
प्रभारी अधीक्षक(लीगल)

अमुमेकाधी एवं एसाइसपि प्रह्वर हे वदुपस्त
नवी विधि विभाग के केंद्रित करना चेहरी

DD (Legal) - N.A.

Director (Legal)

विधि विभाग

साबक नं० 407-408, दि० 10/03/16

10/3/16
संचालक
स्वास्थ्य सेवा
मध्यप्रदेश

विषय:—न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू. पी. क्रमांक 18249/2015 श्रीमती रामलली मिश्रा, संविदा ए. एन.एम. जिला-सागर, विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति किये जाने बाबत ।

P 227/15

**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT
JABALPUR**

Process Id: 16632/2016

WP/18249/2015

For Admission and I.R.


Fixed for 14-03-2016

WP-DA-21

Respondent No. 3

From

Kishore Pithawe
Deputy Registrar,
High Court of Judicature
at Jabalpur



To,

Director Public Health And Family
Welfare Department,
Satpura Bhawan, Bhopal,
District- Bhopal (MADHYA PRADESH),


Jabalpur 30-01-2016

Sub: Notice to Respondent No. 3 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo
Warranto) No. WP/ 18249/ 2015

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one Smt. Ram Lali Mishra has filed a
petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and
the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto)
No. WP/18249/2015

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly
engaged Advocate on or before 14-03-2016. If no return is filed as aforesaid, the petition
will be heard and decided exparte.



DD(FW)

Your faithfully

DEPUTY REGISTRAR

1 O.C.

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

PRINICPAL SEAT AT JABALPUR

Writ Petition No. 18249/2015

PETITIONER:- Smt. Ram Lali Mishra

VERSUS

RESPONDENT:- State of M. P. & ors.

INDEX

S. No.	Particular of documents	Order dated	Annexure	Page no.
1.	Index			1
2.	Chronology of events			2
3.	Writ Petition with affidavit			3 to 8
4.	List of documents			9
5.	Copy of appointment order with certificate of A.N.M.	30/04/07	P/1	10 to 11
6.	Copy of certified of A. N. M.	2005	P/2	12 to 13
7.	Copy of letter information letter under R.T.I.	01/05/15	P/3	14 to 21
8.	Copy of representations	13/10/15	P/4	22 to 24
9.	Copy of regularization of similar employees	05/08/13	P/5	25 to 29
10.	Vakalatnama			30

JABALPUR

DATED /10/2015

Shyam Prakash Gupta

[Advocate for petitioner]

3

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

PRINICPAL SEAT AT JABALPUR

Writ Petition No. 18249/2015

PETITIONER:- Smt. Ram Lali Mishra wife of Shri Umakant Mishra, aged about 50 years, Occupation A. N. M. Khand Shahpur, Sagar, district Sagar, R/o Joyti Nagar, Makroniya, Sagar, district Sagar [M.P.]

VERSUS

RESPONDENT:-

1. The State of Madhya Pradesh
Through the Principal Secretary,
Department of Public Health and Family Welfare development Vallabh Bhawan Bhopal [M.P.]
2. The Commissioner,
Public Health and Family Welfare
Department Satpuda Bhawan Bhopal [M.P.]
3. The Director,
Public Health and Family Welfare
Satpurda Bhawan Bhopal [M.P.]
4. The Chief Medical and Health
Officer, district Hospital Sagar,
District Sagar [M.P.]

**WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226 OF THE
CONSTITUTION OF INDIA**

1] Particular of the cause/order against which the petition is being made.

- A] Date or order/Notification Nil
- B] Passed in:- Nil
- C] Passed by:- Nil

D] **Subject Matter in brief:-** by way of instant petition petitioner is not challenging any particular order but seeking direction to direct to the respondents regularized the petitioner in the post of A.N. M.. it is respectfully submitted before this Hon'ble Court that the petitioner has been appointed in the post of A. N. M. in the year 2007 on contract basis for a period of 2 years and it was extended time to time now the petitioner is working in the same post with full devotion and to the satisfaction of the authority concern.

It is pertinent to mentioned here that the similar situated A.N. M. has been regularized but the case of petitioner has not taken into the consideration the petitioner made representation for her regularization but respondents has not taken any action. Hence this petition.

2] **Matter previously not filed or pending before any court of law:-** that, the petitioner declared that the same subject matter there is no any petition or appeal is filed before any court of law.

3] **Detail of Remedies exhausted:-** that, the same subject matter there is no any remedy except to file this petition before this Hon'ble Court.

4] **Delay if any:-** That, the petitioner is declared that there is no any delay in filing instant petition before this Hon'ble Court.

5] **FACTS OF THE CASE:-**

5.1] That, the petitioner is residence of India and he invoked the writ jurisdiction of this Hon'ble court. They have enshrined all the fundamental right and have valuable right guarantee under the provision of Article 21 of Constitution of India.

3.2] That, on 30/04/2007 the petitioner has been appointed in the post A. N. M. on contract basis for a period of two year and it was renewed time to time and she is working sincerely and honesty and to the full satisfaction of authority concern. The copy of appointment order 30/04/2007 is filed with certificate of A.N.M. and marked here with as ANNEUXRE P/1. and the copy of certificate of A. N. M. is filed and marked herewith as ANNEUXRE P/2.

5.3] That, the petitioner acquired information about the vacant post under the Right of Information act the respondent informed her that there are 148 post of General Category out of which 64 posted are vacant in district Sagar [M.P.]. the copy of information letter is dated 01/05/2015 is filed and marked as ANNEUXRE P/3.

5.4] That, thereafter the petitioner representation to the authority concern for redressal of her grievance but respondents has not taken any fruitful action. The copy of representation is filed and marked as ANNEXURE P/4.

5.5] That, the respondents has regularized number of A. N. M. who has been appointed with the petitioner and availing the benefit of regularization in entire district Sagar. The copy of regularization orders are filed and marked herewith as ANNEUXRE P/5.

6] **GROUND:-**

A] For that, act of the respondents is illegal arbitrary and not sustainable in the eye of law.

B] For that, the action on the part of respondents is tainted with mala-fide and is not conformity with the prescribed standard or norms and is arbitrary and irrational. It is well settled in law that where an action of the respondents is

malafide it amount to error apparent on the face of record warranting exercise of powers under Article 226 of the Constitution of India.

C] For that, the petitioner is working from long period of time sincerely and honestly and to the full satisfaction of the authority concern.

D] For that, there are 64 vacant posts of A. N. M. in General Category in district Sagar.

E] For that, the petitioner made various representations for redressal of his grievance but the respondent has not taken any fruitful action.

7] **RELIEF PRAYED FOR:-** on the basis of above mentioned facts and grounds the petitioner prayed following relief's before this Hon'ble Court.

A] That, this Hon'ble Court may kindly be pleased to issue appropriate writ and direct to the respondents to regularized to the petitioner in the post of A. N.M within stipulated time in the interest of Justice.

B] That, this Hon'ble court may kindly be pleased to call entire record of trust.

C] That, any other relief which this Hon'ble Court may deemed fit and proper on the basis of above mentioned facts and grounds of the case.

8] **INTERIM RELIEF:-** during the pendency of this writ petition this Hon'ble Court may kindly be pleased to direct to the respondents to decide the representation of the petitioner and pass speaking order within stipulated time in the interest of Justice.

9] **Documents relied on but not in possession:-** Nil

10] **CAVEAT:-** That, no notice of lodging a caveat by the opposite party is received.

JABALPUR

Shyam Prakash Gupta

DATED /10/2015

[Advocate for petitioner]

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR

Writ Petition No. 18249/2015

PETITIONER:- Smt. Ram Lali Mishra

VERSUS

RESPONDENT:- State of M. P. & ors.

AFFIDAVIT

I, Smt. Ram Lali Mishra wife of Shri Umakant Mishra, aged about 50 years, Occupation A. N. M. Khand Shahpur, Sagar, district Sagar, R/o Joyti Nagar, Makroniya, Sagar, district Sagar [M.P.] do hereby solemnly on oath and state as under:-

- 1] That, I am petitioner in present case and I well conversant with the facts of the case.
- 2] That, I am filling petitioner under Article 226 of Constitution of India. the petitioner has been drafted by the my counsel under my instructions and para 1 to end are true to my personal knowledge and belief. It explained to me and I understood it.

- 3] That, I Swear that I conceal nothing and no part of it false so help me God.

VERIFICATION

I, Deponent named above verify at Jabalpur. That the content of para 1 to 3 of the affidavit are true to my personal knowledge and belief.

Verified and singed on day of October 2015 at
Jabalpur.

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR

Writ Petition No. 18249/2015

PETITIONER:- Smt. Ram Lali Mishra

VERSUS

RESPONDENT:- State of M. P. & ors.

List of documents

S. No.	Particular of documents	Order dated	Certified/ copy	Page no.
1.	Copy of appointment order with certificate of A.N.M.	30/04/07	Copy	2
2.	Copy of certified of A. N. M.	2006	Copy	2
3.	Copy of letter information letter under R.T.I.	01/05/15	Copy	8
4.	Copy of representations	13/10/15	Copy	3
5.	Copy of regularization of similar employees	05/08/13	Copy	6

JABALPUR

DATED /10/2015

Shyam Prakash Gupta

[Advocate for petitioner]

सागर, दिनांक 30-4-07

आदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये म.प्र. भोपाल के परिपत्र क्रमांक 3/प.क./290 दिनांक 12.03.07 के द्वारा एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक अतिरिक्त ए.एन.एम. जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा वयनित महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण उत्तीर्ण निम्नांकित महिला उम्मीदवारों को आर.सी. एच.- II कार्यक्रम के अंतर्गत संविदा आधार पर ए.एन.एम. के पद पर निम्नांकित सेवा शर्तों के आधार पर अनुबंधित किया जा कर नाम के सम्मुख दर्शाये स्वास्थ्य संस्था में पदस्थ किया जाता है।

क्रम/वर्ग	आवृत्तिका का नाम पति/पति एवं पत्नी	जाति वर्ग	पदस्थापना स्थान
1	श्रीमति विमला बाई पति श्री हरीश अहिरवार छात्रवास के पास नई बस्ती खिगलासा तह.0 खुरई जिला सागर	अनुसूचित जाति	उप.स्वा.केन्द्र खिगलासा, सामु.स्वा.केन्द्र खुरई के अंतर्गत
2	श्रीमति उमा गोस्वामी / श्री प्रकाश गोस्वामी, गोपालगंज मरघटा रोड, सागर	सामान्य	उप. स्वा.केन्द्र करीपुर प्राथ.0 स्वा.केन्द्र शाहपुर के अंतर्गत
3	श्रीमति राजेश्वरी विश्वकर्मा पति श्री हरिकिशन विश्वकर्मा, मु.पो.-झाना जिला सागर	अन्य पिछड़ा वर्ग	उप. स्वा.केन्द्र बास्धा सामु.स्वा.केन्द्र खुरई के अंतर्गत
4	श्रीमति संगीता सेन पति श्री दीपक कुमार सेन, दादा दरबार के पीछे, गोपालगंज सागर	अन्य पिछड़ा वर्ग	उप.स्वा.केन्द्र सेमरा हाट, सामु.स्वा.केन्द्र राहतागढ़ के अंतर्गत
5	श्रीमति अन्नपूर्णा दुबे, पति श्री पूर्णानंद दुबे, ग्राम चंदौख, पो.आ. छापरी, तह. बण्डा जिला सागर	सामान्य	उप स्वा.केन्द्र जगधर सामु.स्वा.केन्द्र बण्डा के अंतर्गत
6	श्रीमति गैरी ज्वाइंस टी.बी. पति श्री संदीप जोशी, ज्योति कोल्ड स्टोर्स के सामने रजाखेडी गकरोनिया जिला सागर	सामान्य	उप.स्वा.केन्द्र बहरिया, प्राथ.स्वा.केन्द्र शाहपुर के अंतर्गत
7	श्रीमति रागजली मिश्रा पति श्री उमाकांत मिश्रा नेहानगर, गकरोनिया जिला सागर	सामान्य	उप.स्वा.केन्द्र गिरवर प्राथ.स्वा.केन्द्र शाहपुर के अंतर्गत

संविदा सेवा शर्त :-

1. अनुबंध पत्र— वयनित अभ्यार्थी को नियुक्त अवधि प्राप्त होने के तत्काल बाद अधोहरस्ताक्षरकर्ता के साथ उक्त नियमों में प्रावधित प्रारूप में रुपये 50/- मानचूडिशियल स्टॉप पर अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा।
2. कार्य संतोषजनक ना होने, आवरण अक्षा न होने, सौंपे गए कार्य की उपलिब्ध को पूर्ण न करने, अनुशासनीयता करने पर किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
3. वयन किए गए उम्मीदवारों प्रशिक्षण के समथ शारीरिक योग्यता हेतु जिला मेडीकल बोर्ड का स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा उम्मीदवार को गर्भवस्था में नहीं होना चाहिए, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वास्थ्य कार्यकर्ता का कार्य करने हेतु सक्षम होना चाहिए, चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने अथवा अक्षम पाए जाने पर वयन निरस्त माना जावेगा।
4. उक्त पद पर मानदेय रुपये 5000/- (पाँच हजार) प्रतिमाह देय होगा इसके अतिरिक्त शासकीय कार्य से गमन करने पर रुपये 500 यात्रा भत्ता देय होगा इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्तों की पात्रता नहीं होगी। शासकीय सेवा में नियमितकरण एवं वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
5. अनुबंध अवधि में निजी प्रेक्टिस कर घन लागू करने की पात्रता नहीं होगी।
6. वह वयनित ए.एन.एम. संविदा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी जिसको दो से अधिक जीवित संतान है। जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ है।
7. उक्त संविदा नियुक्ति की कालावधि दो वर्ष तक होगी जिसमें आवश्यकतानुसार वृद्धि की जा सकेगी संविदा अवधि के पूर्व रोजगार त्यागने पर संविदा ए.एन.एम. को एक माह का नोटिस या एक माह की संविदा राशि के समतुल्य राशि जमा करनी होगी। कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर एक माह के नोटिस पर ए.एन.एम. की सेवाये समाप्त करने के लिए निशोक्ता सक्षम होगा। शासन से अनुदान प्राप्त न होने की स्थिति में दो वर्ष पूर्व भी संविदा सेवाये समाप्त की जा सकेगी।

(क्रमशः पेज 2)

RC11 New ANM Appointment Order 30-04-07

8. चयनित उम्मीदवारों की पदस्थापन स्थान पर निवास बनाकर रहना अनिवार्य होगा। न रहने/अप-डाउन की स्थिति पाए जाने पर संविदा सेवार्थ तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
9. संविदा ए.एन.एम. को नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से संविदा सेवा से माना जावेगा तथा मासिक संविदा राशि भुगतान कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से किया जावेगा।
10. कर्तव्य:- संविदा ए.एन.एम. के लिए सामान्यतः वही कर्तव्य एवं दायित्व होंगे जो कि विभाग के तहत कार्यरत नियमित ए.एन.एम. के हैं।
11. संविदा ए.एन.एम. के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर संविदा नियुक्ति के स्थान पर अपना कार्यभार ग्रहण करें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में यह संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द हो जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने की सूचना संबंधित खंड चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजी जाएगी।
12. संविदा ए.एन.एम. का चरित्र सत्यापन शासकीय सोचको को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जावेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति बिना कोई कारण बताये तत्काल रद्द कर दी जावेगी।
13. संविदा ए.एन.एम. को एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 15 दिवस के अवकाश की पात्रता होगी वह एक समय में अधिकतम 3 दिनों के अवकाश का उपयोग कर सकेगी। ए.एन.एम. जिसकी दो जीवित संतान तक अधिकतम 90 दिनों का कालावधि के प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी। उपरोक्त अवकाश स्वीकृत करने की शक्तियाँ संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में निहित होगी। इसका अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
14. यदि संविदा ए.एन.एम. बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से एक माह तक निरंतर अथवा एक माह से अधिक समय तक अनुपस्थित रहती है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त हुई मानी जायेगी।
15. संविदा ए.एन.एम. को उसकी कालावधि के लिये किन्हीं पेंशन संबंधी सुविधाओं की पात्रता नहीं होगी, उसे ऐसी कालावधि के लिये कोई बोनस एवं वेतन वृद्धि आदि की पात्रता नहीं होगी।
16. संविदा ए.एन.एम. को आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर शैक्षणिक योग्यता की मूल अंकसूची / निवास प्रमाण पत्र / जाति प्रमाण पत्र (सक्षमप्राधिकारी द्वारा प्रदत्त) / ए.एन.एम. प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र / रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की मूल प्रतियाँ एवं इन सभी अभिलेखों की एक-एक अमिप्रमाणित छाया प्रतियों के साथ अनुबंध निष्पादित किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता के सक्षम उपस्थित होंगे अनिवार्य होगा। अनुबंध निष्पादित होने के बाद ही कर्तव्य पर उपस्थित मान्य होगी।

पृ. क्र/स्था./आर.सी.एच./07/5136
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. संचालक लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ग.प्र. सातपुड़ा भवन गोपाल।
2. कलेक्टर जिला सागर की ओर (अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति) दो प्रतियों में एक प्रति सूचना पटल में चरपा हेतु।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सागर की ओर दो प्रतियों में एक प्रति सूचना पटल में चरपा हेतु।
4. उप संचालक सूचना एवं प्रकाशन की ओर सागाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
5. खंड चिकित्सा अधिकारी जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजकर लेख है कि अनुबंध निष्पादित हो जाने संबंधी लिखित जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्यभार ग्रहण कराया जावे।
6. डी.पी.एम. आर.सी.एच.- II कार्यक्रम स्थानीय कार्यालय।
7. मेडीकल आफीसर प्रभारी प्राथ.स्वा.केन्द्र..... जिला सागर
8. संबंधित ए.एन.एम. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला सागर

RCH New ANM Appointment Order 30-04-07

(12)

ANNEXURE P/2

THE MAHAKOSHAL NURSES REGISTRATION COUNCIL BHOPAL



Registrar
Regn. Council
BHOPAL



4404

This is to certify that **SMT. RAMLALI MISHRA**
having taken a course of training at
F. H. W. TRAINING CENTRE TILLY HOSPITAL SAGAR M.P.
from 28.4.2003 to 17.1.2005 has passed
the examination for **AUXILIARY NURSE MIDWIFE (REVISED A.N.M.)**
conducted by the **M. K. N. REGN. COUNCIL** on **4TH TO 7TH DEC, 2006**
and is admitted by to part **D-ONE (R)** of the Register
maintained under the provisions of the **C. P. & Berar Nurses Registration Act, 1936**
as a Registered **A.N.M. (R)**

The number assigned to her in the register is **IV-14,617** dated
the **25TH** day of **OCTOBER** 2007
Valid up to **24TH OCTOBER 2012**



[Signature]
President

Mahakoshal Nurses Registration Council

[Signature]
Registrar

Mahakoshal Nurses Registration Council

[Signature]

Signature of the Holder

(13)

The Mahakoshal Nurses Registration Council BHOPAL

0783



AUXILIARY NURSE-MIDWIFE CERTIFICATE (REVISED COURSE)

We, the President and Members of the Mahakoshal Nurses Registration Council do
hereby Certify that **SMT. RAMLALI MISHRA**

having undergone not less than eighteen months Theoretical and Practical Training in
Nursing men, women and children and in Midwifery and in Community Health Nursing
in a duly recognised institution and having passed the prescribed examination is granted
this Certificate in Auxiliary Nurse-Midwife (Revised Course)

She is qualified to practice under Medical and Nursing supervision as an Auxiliary
Nurse-Midwife/Auxiliary Nurse in the Rural areas as Health worker.

She passed the examination held on the **4TH TO 7TH DEC. 2006** and the
following days.

Dated at Bhopal the **25TH** day of **OCTOBER** in the year
two thousand and **SEVEN**



[Signature]
President

Mahakoshal Nurses Registration Council
Bhopal (M.P.)

[Signature]
Registrar

Mahakoshal Nurses Registration Council
Bhopal (M.P.)

[Signature]
Signature of the holder

(14)

ANNEXURE/P/3

(कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला-सागर (म.प्र.))

क्रमांक/सू.अधि./15/2655

सागर, दिनांक 18/06/15

प्रति,

✓ श्री मिथलेश शांडिल्य
जिला प्रवक्ता संघ
विकास खण्ड शिक्षा दमोह।

विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी उपलब्ध कराने बाबत।
संदर्भ:- आपका इस कार्यालय आवेदन दिनांक 13-5-15

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आवेदन के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत ए.एन.एम. नियमित/संवि
ए.एन.एम.के स्वीकृत/भरे/रिक्त संबंधी जानकारी चाही गई है उक्त जानकारी के 07 पृष्ठ है जो रजिस्टर डाक द्वारा आप
ओर भेजी जा रही है।
सलगल:- जानकारी

लोक सूचना अधिकारी
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला सागर (म.प्र.)
सागर, दिनांक 18/06/15

क्रमांक/सू.अ./2015/2655-1
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
1- मुख्य कार्यालयपालन अधिकारी जिला पंचायत सागर।

लोक सूचना अधिकारी
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला सागर (म.प्र.)

नियमित

(15)

§ 269 § ए.एन.एम. के रोटटर अनुसार स्वीकृत पद

	सामान्य	ओ.बी.सी.	एस्.सी.	एस्.टी.
स्वीकृत -	148	38	56	27
भरे -	84	81	55	18
रिक्त -	64	1	1	9

वर्तमान में 31 पद ए.एन.एम. के रिक्त है। पूर्व से ही ओ.बी.सी. के पद भरे हुये है।

(16)

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सागर के अधीन
नर्सिंग संवर्ग की संस्थावार स्वीकृत पदस्थ एवं रिक्त पदों की जानकारी
स्थिति दिनांक 01.05.2015

क्र.	पद नाम	स्वास्थ्य संस्था का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	सेक्टर/संस्था का
1	ए.एन.एम.	विज्ञान चिकित्सालय सागर	4	4	0	श्रीमति शबनम खान	0307
						श्रीमति विमला रैकवार	0307
						श्रीमति आशा सीरोडिया	0307
						श्रीमति कमला विश्वकर्मा	0307
		सिटी डिस्प. चमेली चौक सागर	1	1	0	श्रीमति सोना बाई सोनी	0307
		आई.सी. डी.एस.सागर	4	4	0	श्रीमति शांता स्वरूप	0307
						श्रीमति पुष्पा केशरवानी	0307
						श्रीमति सुशम्मा वर्गीस	0307
						श्रीमति शकुंतला बाजपेयी	0307
1		सामु.स्वा.केन्द्र. शाहगढ़	17	16	1	श्रीमति राजकुमारी	Gen
2						श्रीमति आशासुता रैकवार	ओ.बी.सी
3						श्रीमति उषा रैकवार	ओ.बी.सी
4						श्रीमति भागवती रोहित	अनु.जाति
5						श्रीमति कुसुम सेन	ओ.बी.सी
6						श्रीमति एस. पिल्लई	Gen
7						श्रीमति सरोज गुप्ता	Gen
8						श्रीमति सरोज रोहित	अनु.जाति
9						रिक्त	रुद्रावन
10						श्रीमति माया तिवारी	Gen
11						श्रीमति लिसी कुरबिल्ला	ओ.बी.सी
12						श्रीमति मालती कोष्टी	अनु.जाति
13						श्रीमति रम्मी श्रीवास्तव	Gen
14						श्रीमति कृष्णा अविदा	अनु.जाति
15						श्रीमति कर्मा रोहित	अनु.जाति
16						श्रीमति मधुपतरस	अनु.जनजाति
17						श्रीमति यशोदा अहिरवार	अनु.जाति
1		सामु.स्वा.केन्द्र केसली	21	21	0	श्रीमति उषा चड्ढा	अनु.जाति
2						श्रीमति ग्रेस स्टेनली	अनु.जाति
3						श्रीमति दमयन्ती ठाकुर	Gen
4						श्रीमति विमला मार्टिन	ओ.बी.सी
5						श्रीमति बबीता गौड़	अनु.जनजाति
6						श्रीमति पार्वती रैकवार	ओ.बी.सी
7						श्रीमति मधुलता चौधे	Gen
8						श्रीमति कमला सोनी	ओ.बी.सी
9						श्रीमति चन्द्रकांता मांडारे	Gen
10						श्रीमति माया अहिरवार	अनु.जाति
11						श्रीमति सखी बाजपेयी	Gen
12						श्रीमति उषा बाई जाटव	अनु.जाति
13						कु. सविता गौड़	अनु.जनजाति
14						कु. हेमलता गौड़	अनु.जनजाति
15						श्रीमति शांति रैकवार	ओ.बी.सी
16						श्रीमति जानकी गौड़	अनु.जनजाति

(17)

17						श्रीमति कांती बाजपेयी	Gen	झिरिया
18						श्रीमति रेखा गौड़	अनु.जनजाति	पलौड बेसली
19						श्रीमति किरन अहिरवार	अनु.जाति	केसली
20						कुमारी उषा सैनी	ओ.बी.सी	जैतपुर
21						श्रीमति ममता आदिवासी	अनु.जनजाति	टडा
1		सामु.स्वा.केन्द्र. देवरी	22	20	2	श्रीमति किरण काछरी	अनु.जाति	गोपालपुर
2						श्रीमति सावित्री कुर्मी	ओ.बी.सी	जैतपुर
3						श्रीमति अनीता श्रीवास	ओ.बी.सी	जैतपुर विपरिया
4						श्रीमति संकुन्ता राय	अनु.जाति	बीना
5						श्रीमति रामकुमारी चौर.	ओ.बी.सी	मह.मि.पु.
6						श्रीमति तारा जैन	Gen	मरई
7						श्रीमति शक्तीना बानो	Gen	मढी
8						श्रीमति मीना नामदेव	ओ.बी.सी	महाराजपुर
9						श्रीमति श्यामा पटेल	ओ.बी.सी	गौरझामर
10						श्रीमति सरोज दीक्षित	Gen	छिंदली
11						रिक्त		चिरचिया
12						श्रीमति ओमवती कोष्टी	अनु.जाति	सुना
13						श्रीमति उर्मिला बंशकर	अनु.जाति	चरगुआ
14						श्रीमति सिकंदर बी	Gen	सिमरिया डोकी
15						श्रीमति राजेश्वरी तिवारी	Gen	बिजुआ
16						श्रीमति शहनाज खान	Gen	सिंगपुर
17						श्रीमति रामकली प्रजापति	ओ.बी.सी	मुआर
18						श्रीमति सुषमा गौड़	अनु.जनजाति	झमरा
19						श्रीमति नविता बाल्मिकि	अनु.जाति	रसेना
20						श्रीमति भागवती अहिरवार	अनु.जाति	धारड
21						श्रीमति अलका लाल	अनु.जनजाति	सिमरिया हराखड़ा
22						रिक्त		बरकोटी
1		सामु.स्वा.केन्द्र. आगासीद	20	19	1	श्रीमति मीरा बसोर	अनु.जाति	कजिया
2						श्रीमति मानवती कोरी	अनु.जाति	सिरचौपी
3						श्रीमति केशर गौड़	अनु.जनजाति	भानगढ़
4						कु. प्रमिला अहिरवार	अनु.जाति	बिलथव
5						श्रीमति मीना कोरी	अनु.जाति	वरोदिया
6						श्रीमति जशोदा देवी अहि.	अनु.जाति	सोमरखेडी
7						श्रीमति राधा तिवारी	Gen	बेलई
8						श्रीमति रामवती कुशवाहा	ओ.बी.सी	बेधनी
9						श्रीमति भागवती पाल	ओ.बी.सी	देहरी
10						श्रीमति मूर्ति देवी अहि.	अनु.जाति	ढाड़
11						श्रीमति ज्योत्सना शर्मा	Gen	नौगांव
12						कु. निर्मला यादव	ओ.बी.सी	हिरनछिया
13						श्रीमति कृष्णा शर्मा	Gen	सतोरिया
14						रिक्त		पार
15						श्रीमति उषा हुसे	Gen	मंडी बानी
16						श्रीमति गोमती अंगुराणी	अनु.जाति	गौहर
17						श्रीमति प्रेमलता खट्टार	अनु.जाति	सनाई
18						श्रीमति चंपा बाई	अनु.जाति	हिन्नीद
19						श्रीमति शारदा अहिरवार	अनु.जाति	देवल

(18)

20					श्रीमति सरोज शर्मा	Gen	उप.स्वा.के. आगासीद
1	समु.स्वा.केन्द्र. जैसीनगर	23	23	0	श्रीमति सावित्री मिश्रा	Gen	जैसीनगर 2
2					श्रीमति आशा शुक्ला	Gen	विशनपुर
3					श्रीमति गायत्री गुप्ता	Gen	बैरखेडी गुसाई
4					श्रीमति सावित्री पटेल	ओ.बी.सी	बिलेहरा
5					श्रीमति कमला सेन	ओ.बी.सी	सीगना
6					श्रीमति शांति अल्फ्रेड	ओ.बी.सी	हीरापुर
7					श्रीमति मीना अहिरवार	अनु.जाति	चाटोरिया
8					श्रीमति विमलेश खगार	अनु.जाति	बरोदा सागर
9					श्रीमति पुष्पा श्रीवास्तव	Gen	करैया
10					श्रीमति मुन्नी नामदेव	ओ.बी.सी	महुआ खेड़ा
11					श्रीमति जानकी पटेल	ओ.बी.सी	मूघर
12					श्रीमति प्रमिला चौरसिया	ओ.बी.सी	तालचिरी
13					श्रीमति दर्शन जैन	Gen	बांसा
14					श्रीमति बसन्ती शर्मा	Gen	तोड़ा
15					श्रीमति सावित्री जैन	Gen	सत्ता डाना
16					श्रीमति स्वर्णलता सोनी	ओ.बी.सी	चैनपुरा
17					श्रीमति गीता देवी सुनपुरिया	अनु.जनजाति	मसुरहाई
18					श्रीमति सुमनलता श्रीवास्तव	Gen	किल्लाई
19					श्रीमति प्रेमबाई जैन	Gen	देहरा देहरी
20					श्रीमती छाया कोरी	अनु.जाति	खुरई थावरी
21					श्रीमती गायत्री चौधरी	अनु.जाति	जैसीनगर
22					श्रीमती कुसुम चौधरी	Gen	गैहूरास
23					श्रीमती उडयाराजेन्द्र	Gen	पडरई
1	समु.स्वा.केन्द्र. खुरई	22	17	5	श्रीमति मुन्नी रेकवार	ओ.बी.सी	खंगर
2					श्रीमति सुशीला सोलंकी	अनु.जाति	चनौरा
3					श्रीमति सुधा नामदेव	ओ.बी.सी	गढोला जागीर
4					रिक्त		कुमरौल
5					श्रीमति लता रोहतास	अनु.जाति	भित्तला
6					श्रीमति शशि शर्मा	Gen	ठिकुआ
7					श्रीमति बेनीबाई कुर्मी	ओ.बी.सी	बरोदिया नोनगर
8					श्रीमति शांति शर्मा	Gen	सिलीया
10					श्रीमति कोमल जू बुदेला	Gen	खिमलासा
11					श्रीमति मंजू पांडे	Gen	बारधा
12					श्रीमति मीरा द्विवेदी	Gen	बसारी
13					श्रीमति कृष्णा तिवारी	Gen	पथरिया जैमन
14					श्रीमति मुन्नी रेकवार/खेललरा	ओ.बी.सी	खैजरा हरचंड
15					श्रीमति कुसुम साहू	ओ.बी.सी	तलापार
16					श्रीमति शारदा गुप्ता	Gen	कटेली
17					श्रीमति विमला गुप्ता	Gen	सिंगपुर
18					श्रीमति गेंदा बाई जैन	Gen	भरछा
19					श्रीमति प्रीति सोनी	ओ.बी.सी	पटारी
20					श्रीमति सरला लड़िया	अनु.जाति	सरखडी
21					रिक्त		भीलोन
22	संघ.पत्र क.127 दि.23.5.14				रिक्त (नवीन स्वीकृत पद)		तोड़ा काछी
23	संघ.पत्र क.127 दि.23.5.14				रिक्त (नवीन स्वीकृत पद)		नाउखेडा

(19)

1		सामु.स्वा.केन्द्र. मालधीन	22	17	5	श्रीमति माया राय	अनु.जाति	पातोखेडा
2						श्रीमति विमला सेन	ओ.बी.सी	डबडेर
3						श्रीमति ममता तिवारी	Gen	रजवांस
4						श्रीमति कुसुम सेनी	ओ.बी.सी	बरोदिया कला
5						श्रीमति चंदा शर्मा	Gen	सागीनी
6						श्रीमति शारदा ठाकुर	ओ.बी.सी	चंद्रापुर
7						श्रीमति मालती कुशवाह	ओ.बी.सी	खटौरा
8						कु. हेमलता पांडे	Gen	रोडा
9						श्रीमति मुन्नी बाई चौबे	Gen	लतोई
10						रिक्त		उजनेठ
11						श्रीमति माया भारती	अनु.जाति	बांदरी
12						श्रीमति विमला सेन	ओ.बी.सी	पिठोरिया
13						श्रीमति गोमती यादव	ओ.बी.सी	पहरगुवां
14						श्रीमति गौरी रेकवार	ओ.बी.सी	बरोदिया चंद्रापुर
15						श्रीमति पूजा देवी अहिरवार	ओ.बी.सी	बिंदवासा
16						श्रीमति राधा झा	ओ.बी.सी	मालधीन
17						श्रीमति सुनीता सेन	ओ.बी.सी	परमान
18						श्रीमति सुमन सौर	अनु. जनजाति	दुमासकला
19						श्रीमती किरण पुर्वे	अनु. जनजाति	बेसरा
20	संघ.पत्र क्र.127 दि.23.5.14					रिक्त (नवीन स्वीकृत पद)		अडोला
21	संघ.पत्र क्र.127 दि.23.5.14					रिक्त (नवीन स्वीकृत पद)		अटाटीला
22	संघ.पत्र क्र.127 दि.23.5.14					रिक्त (नवीन स्वीकृत पद)		खिरियाकला
1	सामु.स्वा.केन्द्र रहली	30	25	5	श्रीमति कस्तूरी बाई प्रजापति	ओ.बी.सी	छिरारी	
2					श्रीमति विजय लक्ष्मी पाठक	Gen	बैरखेरी कला	
3					श्रीमति शाहजहां बी	Gen	रंगुवा	
4					श्रीमति मालती कोरी	अनु.जाति	कांसतपिपरिया	
5					श्रीमति शकुन्तला साहू	ओ.बी.सी	तालसेन	
6					श्रीमति शशि सोनी	ओ.बी.सी	रोन	
7					श्रीमति मनीषा जैन	Gen	बरखेरा सिफदर	
8					श्रीमति सीतादेवी चौबे	Gen	मोहली	
9					श्रीमति कुसुम लड़िया	अनु.जाति	उदयपुरा	
10					श्रीमति मनोरमा सोनी	ओ.बी.सी	गढ़ाकोटा	
11					श्रीमति ताई देशमुख	Gen	खौरई	
12					श्रीमति सरिता श्रीवास्तव	ओ.बी.सी	घाटपुर	
13					श्रीमति सकुन्तला अहिरवार	अनु.जाति	पटना बुजंग	
14					श्रीमति उमा श्रीवास्तव	Gen	उमरा	
15					श्रीमति नफीसा बेगम	Gen	धसारी	
16					श्रीमति भागवती ठाकुर	Gen	चोहरा	
17					श्रीमति वृजेश दुबे	Gen	काछी पिपरिया	
18					श्रीमति उर्मिला टेगुरिया	ओ.बी.सी	हरदी	
19					रिक्त		बलेह	
20					रिक्त		रहली	
21					श्रीमति अनुराधा आठिया	अनु.जाति	खैराना	
22					श्रीमति दमयन्ती सेन	ओ.बी.सी	पाटई	
23					श्रीमति भागबाई प्रजापति	ओ.बी.सी	जूना	
24					श्रीमति ओषवती वर्मा	Gen	चनौरा बुजंग	
24					श्रीमति द्रोपती साहू	ओ.बी.सी	गुन्जौरा	
26					श्रीमती रामसखी गौड	अनु. जनजाति	दरारिया	
27					श्रीमती संगीता मसकोले	अनु. जनजाति	कुल्लू	

20

28						रिक्त (नवीन स्वीकृत पद)	समनापुरकला
29						रिक्त (नवीन स्वीकृत पद)	पिपरियाभटोली
30						रिक्त (नवीन स्वीकृत पद)	जमघाट
1	सामु.स्वा.केन्द्र. वडा	28	24	4	श्रीमति मीना ठाकुर	Gen	हिनीता पटकुई
2					श्रीमति गीता सोनी	ओ.बी.सी	छापरी
3					श्रीमति ललिता नामदेव	ओ.बी.सी	जगवर
4					श्रीमति तारा शर्मा	Gen	घकेरी
5					श्रीमति विमला विश्वकर्मा	ओ.बी.सी	पजनारी
6					श्रीमति शांति रजक	ओ.बी.सी	पटौआ
7					श्रीमति समिन्ना अहिरवार	अनु.जाति	घवीली
8					श्रीमति गायत्री रैकवार	ओ.बी.सी	गौरा
9					श्रीमति रामेश्वरी गौतम	Gen	सहावन
10					श्रीमति कृष्णा अग्निहोत्री	Gen	कंदुवा
11					श्रीमति मीरा रैकवार	ओ.बी.सी	बरा
12					श्रीमति हेमवती मिश्रा	Gen	मेडा
13					श्रीमति उमा कोरी	अनु.जाति	मोकलमउ
14					श्रीमति सरोज शर्मा	Gen	नैनधरा
15					श्रीमति तारा पटेल	ओ.बी.सी	उलावन
16					श्रीमति सुनील जैन	Gen	मगरघा
17					श्रीमति राजबाई पवार	अनु.जाति	बिनेका
18					श्रीमति साधना चौकसे	Gen	गनवारी
19					श्रीमति सावित्री क्षत्रिय	Gen	पिडरुआ
20					श्रीमति सुषमा यादव	ओ.बी.सी	बहरोल
21					श्रीमति कमला सैनी	ओ.बी.सी	पिपरिया इल्हाई
22					श्रीमति मूर्ति अहिरवार	अनु.जाति	सलेया
23					श्रीमति सरोजनी अहिरवार	अनु.जाति	पडवार
24					श्रीमति जयंती यादव	ओ.बी.सी	सेसईसाजी
25	संचा.पत्र क्र.127 दि.23.5.14				रिक्त (नवीन स्वीकृत पद)		बूढाखेडा
26	संचा.पत्र क्र.127 दि.23.5.14				रिक्त (नवीन स्वीकृत पद)		मंजला
27	संचा.पत्र क्र.127 दि.23.5.14				रिक्त (नवीन स्वीकृत पद)		धोघरा
28	संचा.पत्र क्र.127 दि.23.5.14				रिक्त (नवीन स्वीकृत पद)		डिलाखेडी
1	सामु.स्वा.केन्द्र. राहतगढ	23	20	3	श्रीमति सुमनलता राजपूत	ओ.बी.सी	डिला
2					श्रीमति मुन्नी सोनी	ओ.बी.सी	बटयावदा
3					श्रीमति ममताबाई गौड़	अनु.जनजाति	शिकारपुर
4					श्रीमति राजश्री यादव	ओ.बी.सी	नरयावली
5					श्रीमति सरोज पटेल	ओ.बी.सी	सैमराहाट
6					श्रीमति ममता बौरसिया	ओ.बी.सी	लुहारी
7					श्रीमति रामवती सौनी	ओ.बी.सी	मौटी
8					रिक्त		मेहर
9					श्रीमति मुन्नी सैनी	ओ.बी.सी	जस्वाखेडा
10					श्रीमति कृष्णा रैकवार	ओ.बी.सी	जलधर
11					श्रीमति ममता चंदार	अनु.जाति	ईसरबारा
12					श्रीमति ममता सैनी	ओ.बी.सी	खाखरौन
13					श्रीमति शशिकिरण उपाध्याय	Gen	सैमरा घरखरा
14					श्रीमति बेटी साहू	ओ.बी.सी	भीरखेडी
15					श्रीमति किरणलता चौदा	Gen	मानकी-सलेया
16					श्रीमति राधा सेन	ओ.बी.सी	सिडौरा
17					श्रीमति स्वर्णलता बघेल	Gen	चांदपुर

21

18						रिक्त	मैसा
19						श्रीमति इंदिरा कोरी	अनु.जाति
20						श्रीमति गीता सोनी	ओ.बी.सी
21						श्रीमति चंदवती अहिरवार	अनु.जाति
22						श्रीमति संगीता ठाकुर	अनु.जनजाति
23						रिक्त	कोपरा
2	सामु.स्वा.केन्द्र. शाहपुर	32	27	5	श्रीमति सुनीता यादव	ओ.बी.सी	मसवाना
3					श्रीमती करुणा गौर	Gen	साईखेडा
4					श्रीमति रुक्मणी रोहित	अनु.जाति	मुरखी
5					श्रीमति मागवती विश्वकर्मा	ओ.बी.सी	बराह
6					श्रीमति ममता अहिरवार	अनु.जाति	सानौया
7					श्रीमति रजना अक्वथी	Gen	घन्होरी रंगुआ
8					श्रीमति चंद्रलोखा चौहान	Gen	गभीरिका
9					रिक्त		बरोदा रहली
10					श्रीमति शकुंतला ठाकुर	Gen	पथरिया हाट
11					श्रीमति मनीषा राय	अनु.जाति	वम्होने डुहर
12					श्रीमति ऐलिया बेथ सिंह	अनु.जनजाति	शाहपुर क्र. 2
13					श्रीमति सोमती अहिरवार	अनु.जाति	शिंदवास
14					श्रीमति मिथलेश त्रिपाठी	Gen	उदयपुरा शिवारी
15					श्रीमति रुक्मणी श्रीवास्तव	Gen	कोरबना
16					श्रीमति गीता आठिया	अनु.जाति	परसौरिया
17					श्रीमति कमला राय	अनु.जाति	कांपुर
18					श्रीमति लीला शिवारी	Gen	वन्नेरिका
19					श्रीमति हेमवती गौर	Gen	निरावर
20					श्रीमति तारादेवी जाट	अनु.जाति	रजआ
21					रिक्त		दाना
22					श्रीमति भागवती रैकवार	ओ.बी.सी	विदगन
23					श्रीमति कमला उपाध्याय	Gen	खडेरा घाट
24					श्रीमति माया कुर्मी	ओ.बी.सी	पामाखेडा
25					श्रीमति सावित्री सैनी	ओ.बी.सी	चिलींग
26					श्रीमति हीरा राजपूत	Gen	धुरा
27					श्रीमति हीरा साहू	ओ.बी.सी	पथरिया जंग
28					रिक्त		डिलगम डिलगम
29					श्रीमति भागद सीता सिंह	Gen	वम्होने डिलगम
30					श्रीमति सुनीता जैन	ओ.बी.सी	शाहपुर क्र. 1
31	संचा.पत्र क्र.127 दि.23.5.14				श्रीमति गीता गुप्ता	Gen	मोकलपुर
32	संचा.पत्र क्र.127 दि.23.5.14				रिक्त (नवीन स्वीकृत पद)		पडरिया
					रिक्त (नवीन स्वीकृत पद)		मैसवासी
	कुल योग	269	238	31			

मुख्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी

मंजिल आगर

(22)

ANNEXURE-P/4

प्रति,

श्रीमान् ...स्वास्थ्य आयुक्त महोदय
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल

विषय: नियमितीकरण करने बावत्।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थिया मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सागर के आदेश क्र. 5135 दिनांक 30.04.2007 के अंतर्गत संविदा ए.एन.एम. के पद पर लगातार ईमानदारी, मेहनत व कर्तव्य निष्ठा से कार्यरत है।

यह कि, प्रार्थिया द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री मिथलेश शांडिल्य जिला प्रवक्ता संघ, विकासखण्ड शिक्षा दमोह के माध्यम से प्राप्त करवाई जानकारी पत्र दिनांक 18.06.2015 के तहत नियमित सामान्य वर्ग ए.एन.एम. के 64 पद रिक्त है।

यह कि, प्रार्थिया के अनेक बार नियमितीकरण के संबंध में आवेदन करने के बाद भी आज दिनांक तक प्रार्थिया का नियमितीकरण नहीं किया गया। जबकि अन्य वर्गों का एवं अन्य जिलों में कई ए.एन.एम. का नियमितीकरण किया जा रहा है।

अस्तु श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थिया का ए.एन.एम. पद पर नियमितीकरण करने की कृपा करें अन्यथा प्रार्थिया विवश होकर माननीय न्यायालय के शरण में जाने के लिये बाध्य होगी।

जबलपुर

दिनांक 13/10/15

प्रार्थिया

श्रीमती रामलली मिश्रा

संविदा ए.एन.एम. खंड शाहपुर,
जिला सागर म.प्र.

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान् प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)
2. श्रीमान् आयुक्त महोदय, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)
3. श्रीमान् संयुक्त संचालक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सागर संभाग सागर (म.प्र.)
4. श्रीमान् संचालक महोदय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)

भारतीय डाक
India Post

भारतीय डाक
India Post

भारतीय डाक
India Post

भारतीय डाक
India Post

(24)

ANNEXURE P

प्रति,

श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

महोदय जिला- सागर (म.प्र.)

विषय :- नियमित करने बाबत

महोदय,

निवेदन है कि मैं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी सागर के आदेश क्र 5135 दिनांक 30-4-2007 के अंतर्गत संविदा ए.एन.एम. के पद पर कार्यरत हूँ।

यह कि आपके पत्र दिनांक 18-6-2015 के तहत नियमित सामान्य वर्ग ए.एन.एम. के 64 पद रिक्त है अनेक बार आवेदन करने पर भी आज दिनांक तक मुझे नियमित नहीं किया गया है। अन्य वर्ग एवं अन्य जिलों में नियमित किया जा रहा है।

अतः निवेदन है कि मुझे ए.एन.एम. के पद पर नियमित करने की कृपा करें अन्यथा की स्थिति में विवश होकर मुझे माननीय न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा।

धन्यवाद.

दिनांक 21-9-2015



(श्रीमती रामलली मिश्रा)
संविदा ए.एन.एम. खंड शाहपुर
जिला- सागर (म.प्र.)

प्रतिलिपि -

1. श्रीमान प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग म.प्र. भोपाल ।
2. श्रीमान आयुक्त चि. एवं स्वा. म.प्र. भोपाल ।
3. श्रीमान संयुक्तसंचालक चि. एवं स्वा. सागर संभाग सागर ।
4. श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला सागर ।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सागर (म.प्र.)
सागर, दिनांक 05/08/13

क. रसा. वसिंग/13/ 4306

- आदेश :-

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 3/प.क./डीडी-4/2011/1821 भोपाल दिनांक 28.12.11 का आदेश जारी बिज्ञप्ति के तहत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के नियमित नियुक्ति रिक्त पदों पर वर्ष की वरिष्ठता के आधार पर दो वर्ष की वरिष्ठता पर निर्धारित वेतनमान रुपये 5200-20200 ग्रेड पे 2100 पर की जाकर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये स्थान पर निर्धारित के अर्थान पदस्थ किया जाता है।

क.	उम्मीदवार का नाम एवं पता	जाति/वर्ग	पदस्थापना स्थान
1	श्रीमती यशोदा अहिरवार/श्री हरगोविन्द अहिरवार, ग्राम पोस्ट मकसूदनगढ़ तह. रायवगड जिला गुना।	अनु. जाति	उप स्वा. केन्द्र नरया (शाहगढ़)
2	श्रीमती गीता मुनिपुरिया/श्री धीरज सिंह ग्राम पो. विलाहेरा जैसोनगर	अनु. जाति	उप स्वा. केन्द्र मसुराई (जैसोनगर)
3	श्रीमती गायत्री चौधरी/श्री रामप्रसाद चौधरी खोरमाता के पास मकरोनिया सागर	अनु. जाति	सामु स्वा. केन्द्र (जैसोनगर)

नियुक्ति/नियमितीकरण की शर्तें :-

1. परीक्षा अर्थात् के दौरान कार्य संतोषजनक पाये जाने पर नियमितीकरण की पात्रता होगी।
2. नियमितीकरण दिनांक से वेतनवृद्धि देय होगी।
3. नियमित नियुक्ति के दिनांक से जिले की वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता निर्धारित की जावेगी।
4. उम्मीदवारों को उनकी पदस्थापना स्थल/मुख्यालय में निवास करना अनिवार्य होगा।
5. परीक्षा अर्थात् के दौरान किसी भी आधार पर अथवा प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के अतिरिक्त कहीं भी अन्य जगह पदस्थापना नहीं होगी। परीक्षा अर्थात् प्रशिक्षण अर्थात् के अतिरिक्त होगी।
6. उम्मीदवारों को अपनी पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होकर निर्धारित समयवधि तक शासकीय सेवा करना अनिवार्य होगा।
7. उम्मीदवारों को अपनी पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होकर निर्धारित समयवधि तक शासकीय सेवा करना अनिवार्य होगा।
8. उम्मीदवारों को उपस्थिति के पूर्व जिला मेडीकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तथा उपस्थित होने पर ही उपस्थिति मान्य होगी।
9. नोट प्रो शासकीय सेवक, सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय किसी भी कारण द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान कर समाप्त हो जा सकेगा।
10. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह पूर्व नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भत्ते के बराबर देय राशि संबंधित न भु-राजस्व की वकाली की भांति वसूली योग्य होगी।
11. उम्मीदवारों का चरित्र मत्वापन पुलिस विभाग द्वारा कराया जावेगा। सत्यापन में प्रतिकूल टिप्पणी पाये जाने पर तत्काल सेवायें समाप्त कर दी जावेगी।
12. जनसंख्या नीति के तहत जो व्यक्ति विवाह के लिये न्यूनतम आयु से पहले विवाह किया होगा तथा एक से अधिक पॉत होने दिनांक 26.01.01 से या इसके पश्चात जिस महिला के दो से अधिक संतान होगी वह शासकीय सेवा से तत्काल निवृत्त होगी।
13. उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाणपत्रों का सत्यापन में प्रतिकूल स्थिती जात होने पर तत्काल सेवायें समाप्त जावेगी।
14. प्रथम उपस्थिति का किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
15. उम्मीदवारों को किसी आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अभिलेख फर्जों पाये जाने समाप्त कर दी जावें एवं शासन से प्राप्त वेतन एवं अन्य भत्तों की राशि वसूल की जावेगी।
16. उम्मीदवारों को दिनांक 20-08-13 तक उपस्थित होना अनिवार्य है अन्यथा यह आदेश स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।

सत्यापित प्रतिलिपि

Block Medical Officer
Community Health Centre
Jaisinagar (M.P.)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला सागर (म.प्र.)

आदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म0 प्र0 भोपाल के आदेश क्रमांक 3/40क0/ डी.डी. 2009/1635 दिनांक 16.09.09 के द्वारा अनुसूचित जाति के बैकलाग के रिक्त पदों पर महिला कार्य कर्ता के रिक्त पद पर पांच वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निर्धारित वेतनमान रु0 2200-20200+ ग्रेड पे0 1900 पर की जाकर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये स्थान पर निर्धारित शर्तों के पदस्थ किया जाता है।

क्रम	उम्मीदवार का नाम एवं पता	जाति/वर्ग	पदस्थापना स्थान
1	श्रीमति सरला अहिरवार (लड़िया) - पिता श्री मुकेश कुमार, सुभाष नगर, पगारा रोड, बीएमवी गल्स कालेज के पीछे, सागर	अनु0 जाति	उप स्वा0 केन्द्र सरखडी सामु0 स्वा0 केन्द्र खुरई
2	श्रीमति क्रांति रोहित, पिता श्री रामनाथ रविदास, मंदिर के पास मु0 पो0 परसोरिया, सागर	अनु0 जाति	उप स्वा0 केन्द्र दरेठी सामु0 स्वा0 केन्द्र शाहगढ

नियुक्ति/नियमितीकरण की शर्तें :-

- परिवीक्षा अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक पाये जाने पर नियमितीकरण की पात्रता होगी।
- नियमितीकरण दिनांक से वेतनवृद्धि देय होगी।
- नियमित नियुक्ति के दिनांक से जिले की वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता निर्धारित की जावेगी।
- उम्मीदवारों को उनकी पदस्थापना स्थल/मुख्यालय में निवास करना अनिवार्य होगा।
- परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी आधार पर अथवा प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के अतिरिक्त कहीं भी अन्य जगह पदस्थापना नहीं की जावेगी। परिवीक्षा अवधि प्रशिक्षण अवधि के अतिरिक्त होगी।
- उम्मीदवारों को अपनी पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होकर निर्धारित समयावधि तक शासकीय सेवा करना अनिवार्य है अन्यथा छात्रवृत्ति के रूप में भुगतान की गई राशि एवं बाण्ड की राशि सहित की वसूली भू राजस्व की वकायी के रूप में वसूल की जावेगी।
- उम्मीदवारों को उपस्थिती के समय चयन आधारित समस्त मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मूल प्रमाण पत्रों पर किसी भी प्रकार की कांट-छांट या शंकास्पद पाये जाने की स्थिती में उपस्थित नहीं कराया जावेगा एवं एफ. आई. आर. दर्ज कराकर प्रकरण पुलिस विभाग को सौपा जावेगा।
- उम्मीदवारों को उपस्थिती के पूर्व जिला मेडीकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, तथा उपयुक्त पाये जाने पर ही उपस्थिती मान्य होगी।

- म0 प्र0 शासकीय सेवक, सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित सेवायें किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उससे अधिक समय में एक माह का वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान कर समाप्त की जा सकेंगी।
- संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह पूर्व नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भत्ते के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की वकायी की भांति वसूली योग्य होगी।
- उम्मीदवारों का चरित्र सत्यापन पुलिस विभाग द्वारा कराया जावेगा। सत्यापन में प्रतिकूल टिप्पणी पाये जाने पर तत्काल सेवायें समाप्त कर दी जावेगी।
- जनसंख्या नीति के तहत जो व्यक्ति विवाह के लिये न्यूनतम आयु से पहले विवाह किया होगा तथा एक से अधिक पति होने पर, तथा दिनांक 26.01.01 से या इसके पश्चात जिस महिला के दो से अधिक संतान होगी वह शासकीय सेवा से तत्काल निष्कासित किया जा सकेगा।
- उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाणपत्रों का सत्यापन में प्रतिकूल स्थिती ज्ञात होने पर तत्काल सेवायें समाप्त कर दी जावेगी।
- प्रथम उपस्थिती का किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।
- उम्मीदवारों को किसी आशय काउ शर्षपत्र प्रस्तुत करना होगा कि शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अभिलेख फर्जी पाये जाने पर सेवायें समाप्त कर दी जावें एवं शासन से प्राप्त वेतन एवं अन्य भत्तों की राशि वसूल की जावेगी।
- उम्मीदवारों को दिनांक 9.11.09 तक उपस्थित होना अनिवार्य है अन्यथा यह आदेश स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला सागर

पृष्ठ0/स्था. नर्सिंग/09/ 10980-7
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सागर दिनांक 24-10-09

- स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म0 प्र0 भोपाल।
- संचालक लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म0 प्र0 भोपाल।
- संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सागर संभाग, सागर।
- प्राचार्या महिला बहु0 स्वा0 कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, सागर।
- खंड चिकित्सा अधिकारी/सामु0 स्वा0 केन्द्र खुरई/शाहगढ।
- संबंधित उम्मीदवारों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- लेखा शाखा स्थानीय कार्यालय।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला सागर

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर (म.प्र.)

क्र/स्था/नर्सिंग/07/1342

सागर दिनांक 19-11-07

आदेश

संचालनालय का आवंटन आदेश क्र 3/प.क./डी.डी.-4/07/618 भोपाल दिनांक 15.06.07 के तहत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता उत्तीर्ण निम्नांकित अनुजाति की उम्मीदवारों को जिले के ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं में 5 वर्ष के लिए परीक्षा अवधि पर पदस्थापना का आवंटन प्राप्त हुआ है।

अतः मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सागर के अनुमोदन उपरान्त उम्मीदवारों को नियुक्ति महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) के पद पर वेतनमान - 3050-75-3950-80-4590 में निम्नलिखित शर्तों पर की जाएगी और उनके नाम सम्मुख कालम नं. 5 में अंकित स्वास्थ्य संस्थाओं में रिक्त ए.एन.एम. के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

क्र.	ए.एन.एम. का नाम एवं पता	संवर्ग	पदस्थापना स्थान
1.	श्रीमति रुकमणी चौधरी, पिता श्री मानक लाल चौधरी, भगवानाज सिंगड़ा, अम्बेकर मूर्ति के सामने, शील मेडीकल के पास, सागर	अनुसूचित जाति	उप स्वास्थ्य केन्द्र सुरखी (शाहपुर)

नियुक्ति की शर्तें:-

- यह नियुक्ति प्रथम 5 वर्ष की कालावधि तक परीक्षा पर रहेगी। परीक्षा की यह शर्त होगी कि इस अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में ही कार्यरत रहेगी। परीक्षा अवधि के दौरान संबंधित को किसी भी आधार पर अथवा प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र पदस्थापना नहीं की जावेगी। 5 वर्ष की परीक्षा अवधि प्रशिक्षण अवधि के अतिरिक्त होगी। परीक्षा अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक होने पर ही नियमित नियुक्ति की पात्रता होगी।
- संबंधित को दिनांक 02.12.07 तक पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा यह आदेश स्वयंसेवक निरस्त समझा जावेगा।
- निर्धारित तिथि तक पद ग्रहण न करने की स्थिति में बांड अवधि तक शासकीय सेवा न करने पर प्रशिक्षण के दौरान इस पर किये गये व्यय भुगतान की राशि एवं बांड की राशि वापस की जाएगी।
- संबंधित ए.एन.एम. को पदस्थापना स्थल के मुख्यालय पर निवास बनाकर शासकीय सेवा करना अनिवार्य होगा।
- पंद्रह वर्ष की परीक्षा अवधि के समाप्त होने के पश्चात् नियमितीकरण आदेश जारी किये जाने के दिनांक से वेतनवृद्धि देय होगी।
- संबंधित का चरित्र सत्यापन पुलिस विभाग द्वारा कराये जाने पर जानकारी अनुकूल न पाये जाने की स्थिति में सेवाये तत्काल समाप्त की जावेगी।
- संबंधित को उपस्थिति के समय जिला मेडीकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बोर्ड द्वारा उपयुक्त घोषित किये जाने के पश्चात् ही उपस्थिति मान्य होगी।
- जनसंख्या नीति के पालन अनिवार्य है जिसके अनुसार 26 जनवरी 2001 के पश्चात् दो से अधिक संतान होने की स्थिति में शासकीय नियमों के तहत रंधाये शासकल सम्पत्ति की जा सकती है। एवं उपरोक्त नियुक्ति में अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

उपस्थिति के समय महाकौशल नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल म.प्र. भोपाल का जीवित पंजीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

शेष पृ.क. 2 पर

//2//

10 प्रथम उपस्थिति पर किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

11. म.प्र. शासकीय सेवक सेवा नियम 1960 के निद्वय 12 के अनुसार संपन्न की सेवार्थ किसी भी समय किसी भी एक द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित उम्मीदवार द्वारा एक माह पूर्व नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह के वेतन भत्ते के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की वकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला सागर

सागर दिनांक 19-11-07

पृ. क्र/स्था/नर्सिंग/07/1342-29

प्रतिलिपि:- सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- स्वास्थ्य आयुक्ता, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म.प्र. भोपाल।
- संयुक्त संचालक (नर्सिंग) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म.प्र. भोपाल।
- रजिस्ट्रार महाकौशल नर्सिंग रजिस्ट्रेशन म.प्र. भोपाल।
- कलेक्टर महोदय सागर।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सागर।
- खंड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहपुर
- प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सुरखी जिला सागर
- संबंधित उम्मीदवारों को सूचना एवं पालनार्थ।
- ले. शाखा स्थानीय कार्यवाही।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला सागर

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/लीगल/जेवीपी/2016/ पंजी - 407

मोपाल, दिनांक: 0/03/2016

आदेश

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908) अधिनियम संख्या -5 के आदेश के सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन शक्तियों को प्रयोग में करते हुए उप संचालक (परिवार कल्याण) स्थानीय कार्यालय, को उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका न्यायालयीन डब्ल्यू.पी. प्रकरण 18249/2015 श्रीमती रामलली मिश्रा, संविदा ए.एन.एम. जिला-सागर, विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में म.प्र.राज्य तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिकथनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिये तथा कार्य करने के लिये तथा कार्य करने आवेदन करने उपस्थित होने के लिए नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि म.प्र.विधि और विधायी कार्य विभाग, नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य शर्तों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्यूरो नीचे दिये हैं, निम्न लिखित कार्य करेगा :-

1. प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा जैसे कि आवश्यक हो और याचिका में उठाए गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिससे कि मामले के संदर्भ में महाधिवक्ता/शासकीय अभिमर्शक को सहायता पहुचाने को संभालना है रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रक्रिया पर विधि विभाग से परामर्श लिया गया था तो उस विभाग को राय भी रिपोर्ट में विनिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाए।
2. समस्त सुसंगत फाईल, दस्तावेज, नियम, अधिसूचना तथा आदेश आदि एकत्र करेगा।
3. वादपत्र/याचिका में उठाए गए समस्त बिन्दुओं को पैरा अनुसार उत्तर देते हुए जिससे कि शासकीय अधिवक्ता को सहायता पहुचाने की सम्भावना है, ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता के संपर्क करेगा।
5. शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करायेगा।
6. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-
(क) वादपत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
(ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप
(ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिनको प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई।
(घ) मामले के विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों का प्रतियों जिसमें वाद सुनवाई की तारीख भी शामिल होनी चाहिए।

क्रमशः (2)

-2-

7. मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले, उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किए गए कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत करना।
8. जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्य प्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है जब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
9. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किए जाने के लिए विभाग को भेजेंगे।
10. यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने रिपोर्ट बनाने राय प्राप्त करने और उनकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
11. जैसे हो उसके अपना स्थानांतरित आदेश प्राप्त होता है यह अर्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। यह वर्तमान पद का भार सौंपे देने के पश्चात भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाए।
12. प्रभारी अधिकारी, मामले तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता की हर समय सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य को दस्तावेज अप्रतिष्ठ/छुपी हुई ना रह जाये।
13. प्रभारी अधिकारी कार्यदि लोग अभियोजन मुकदर है तो जैसे ही वाद का विनिश्चय होता,परिवत्र की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार करेगा। निर्णय की एक प्रति भी प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
14. प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजन मुकदर है तो यह बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी वाद के कम में पारित किए गए किसी अतिरिम आदेश का पुनरीक्षण अप्रेषित है, समय पर कार्यवाही की गई है। अतः एवं वह इस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किए जाए, विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय) विभाग को प्रेषित करे।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार



कृते / सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्रमशः (3)

क्रमांक / 4 / लीगल / जेवीपी / 2016 / पंजी- / 408

भोपाल, दिनांक 0/03/2016

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय जबलपुर, (म.प्र.)
- 2- संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर सम्भाग जबलपुर, म0प्र0।
- 3- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सागर
- 4- प्रमारी अधिकारी- उप संचालक (परिवार कल्याण) स्थानीय कार्यालय, म.प्र. की ओर शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने, उपस्थिति प्रकरण पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेट पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित। मामले के प्रगति की प्रति विभाग के साथ साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजने चाहिए। आवेदन प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाये। मामले का सुनवाई दिनांक 14/03/2016 को उच्च न्यायालय जबलपुर में नियत थी/ है।

कृते / सचिव
मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग